>

Title: Need to look into the problems being faced by the fruit and vegetable sellers from Himachal Pradesh and other States in Azadpur fruit and vegetable wholesale market in Delhi.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): महोदय, मैं किसानों की समस्या को लेकर खड़ा हुआ हूं। देश के सभी प्रदेशों में मण्डी बोर्डों का गठन किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु किया गया है। इसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक प्रतिशत फीस सामान खरीदने वाले से वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसी संदर्भ में मैं माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान दिल्ली प्रदेश में आजाद पुर मण्डी, जिसमें उत्तरी भारत के अधिकांश किसानों की फल, सब्जी एवं अन्य उत्पाद बिकने के लिए आते हैं, उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां इस नियम का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित सेब, टमाटर शिमला मिर्च, मटर व अन्य सब्जियों व फल की कुल मात्रा का 80 प्रतिशत आजाद पुर सब्जी मण्डी में बिकने के लिए आता है। मुझे अत्यंत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आजाद पुर मण्डी के आढ़तियों द्वारा किसानों एवं बागवानीकर्ताओं का माल मनमानी दर पर बेचने का काम किया जा रहा है तथा नियमों एवं कानूनों को धता बताते हुए, किसानों एवं बागवानीकर्ताओं का शोषण करते हैं।

महोदय, नियमानुसार मार्किट फीस के रूप में खरीदार से एक प्रतिशत धन वसूलने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आजाद पुर के आढ़ती वहां अपना सामान बेचने आने वाले किसानों से छह से आठ प्रतिशत के हिसाब से कमीशन वसूल रहे हैं। यह प्रक्रिया कई वर्षों से चल रही है, जिससे कृषक व बागवान बहुत परेशान हैं। इस बारे में दिल्ली सरकार से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री व बागवानी मंत्री ने बात की तथा मुद्दा उठाया कि किसानों व बागवानों से एक प्रतिशत मार्किट फीस के रूप में वसूला जाए। मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। आजादपुर मण्डी के आढ़तियों द्वारा किसानों और बागवानों का शोषण बदस्तूर जारी है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आजादपुर फल एवं सब्जी मण्डी दिल्ली में अन्य प्रदेशों से अपने उत्पाद को बेचने के लिए आने वाले किसानों और बागवानों के शोषण को तत्काल रोका जाए और उनके मंत्रालय से अविलम्ब आदेश जारी किए जाएं, ताकि मण्डी के नियमानुसार फीस अथवा कमीशन आदि वसूलने हेतु कार्यवाही हो और किसानों व बागवानों का शोषण समाप्त हो।